**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ**

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 14 / 2023

अनवान : –

1. महेन्द्र पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी लालाना बास नथवानिया तहसील नोहर ।

– सायल

**बनाम्**

1. महावीर पुत्र लाधुराम जाति जाट निवासी लालाना बास नथवानिया तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
3. उप पंजीयन कार्यालय उप तहसील रामगढ़ तहसील नोहर ।

– गैरसायालान

**प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा**
**अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.**

उपस्थिति :– 1. श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **सायल**

**निर्णय** दिनांकः 24/11/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा लालानाबास नथवानिया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 155 / 75 के ख0न0 363 / 359, 366 / 360, 369 / 356, 371 / 357, 373 / 359 की कुल 5.5920 हैक्ट भूमि सायल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि का सायल अकेला खातेदार काश्तकार है तथा गैरसायल स0 1 का खेत सायल के ख0न0 363 / 359 व ख0न0 366 / 360 में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करता है तथा सायल के खेत से मिटटी उठाता है एवं सायल की फसल को नुकसान पंहुचाता है एवं सायल की भूमि की सींव व डोल को मिस्मार कर रहा है। जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति हो रही है इसलिए गैरसायल को पाबन्द किया जावे की उक्त भूमि से मिटटी न निकाले एंवं उक्त भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा लालानाबास नथवानिया तहसील नोहर के खाता स0 155 / 75 की कुल 5.5920 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई अप्रार्थी स0 1 उक्त भूमि में से मिटटी खुदाई न करे एवं यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी स0 1 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अतः एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मान अललोकन किया। पपत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हकों / सीवं व डोल का निर्धारण मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होगी। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि सायल के नाम दर्ज है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की सींव व डोल को मिस्मार किया जा रहा है एवं भूमि में से मिटटी की खुदाई की जा रही है लेकिन अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया जिससे अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:46:44 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

द्वारा प्रार्थी की सींव व डोल को मिस्मार किया जा रहा हों, उक्त विवेचनास्वरूप प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष मे सिद्ध होता है क्योंकि प्रार्थी, अप्रार्थी के नाम दर्ज भूमि में अप्रार्थी को ही, पाबन्द करवाना चाहता है।। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 01.02.2023 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 24/11/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:46:44 IST
Reason: SelfAttested